# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौ

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज<br>बाबू लाल वगैरह बनाम रामकेश वगैरह<br>मु.नं.– 03/21 किस्म -- अपील | नम्बर अहकाम की हुए |
|---|---|---|
| | पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.02.26 को पेश हो। (sd) | |
| | 19-2-26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17-3-26 को पेश हो। (sd) | |
| | 17.3.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस अपील दिनांक 27.3.26 को पेश हो। (sd)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) | |
| | 27.3.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-4-26 को पेश हो। (sd) | |
| | 16.4.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश अपील दिनांक 24.4.26 को पेश हो। (sd)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (...) | |
| | 24.4.26 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| बाबूलाल ............ बनाम ............ रामकेश<br>मु.नं.– 03/21 किस्म – अपील<br>पत्रावली लिया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) | |

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 03/2021 | 21.09.2021 | 24.04.2026 |

**बउनवान**

1. बाबूलाल पुत्र रत्तीराम, निवासी कोठीन, तहसील बसवा हाल बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अपीलांट

**बनाम**

1. रामकेश पुत्र रत्तीराम, निवासी कोठीन, तहसील बसवा हाल बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बैजूपाडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा, जिला दौसा।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री शिवदत्त जैमिनी।
2. अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं. 01 – श्री लीलाराम मीना।

## अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 374 दिनांक 20.12.2016 द्वारा ग्राम पंचायत बैजूपाडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता ने इस आशय की पेश की है कि विवादित आराजीयात ग्राम बैजूपाडा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में खसरा सं. 88, 116, 117, 125, कुल किता 4, कुल रकबा 1.96 हैक्टे. के 1/4 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलांट व रेस्पो. सं. 01 का पिता रत्तीराम पुत्र रामफूल, निवासी कोठीन था। रत्तीराम की मृत्यु दिनांक 25.08.2016 को हो गयी है। रत्तीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.09.2016 को रजिस्ट्रीकरण कर दिनांक 26.09.2016 को जारी किया गया। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र की पुश्त पर स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत बैजूपाडा ने रत्तीराम के वारिसान का सजरा अपने हस्ताक्षरों से अंकित किया जिसमें ग्राम पंचायत बैजूपाडा ने रत्तीराम के वारिस अपीलांट व रेस्पो. सं. 01 को बताया है। पटवारी हल्का ने रत्तीराम की विरासत का नामांतकरण सं. 374 ग्राम बैजूपाडा अपीलांट व रेस्पो. सं. 01 के हक में भरकर जांच हेतु भू.अ.नि. को पेश किया। भू.अ.नि. ने जांच कर ग्राम पंचायत बैजूपाडा में पेश किया। ग्राम पंचायत बैजूपाडा ने बिना अपीलांट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये व अपीलांट को नोटिस दिये बिना उनके समक्ष रत्तीराम का वारिस अपीलांट व रेस्पो सं. 01 सिद्ध होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत बैजूपाडा के सरपंच व रेस्पो. सं. 01 ने षडयंत्र रचकर जालसाजी करके दिनांक 20.12.2016 को रतीराम का वारिस मात्र रेस्पो. नंबर 1 को ही मानकर और दिनांक 20.12.2016 को उक्त नामान्तकरण संख्या 374 ग्राम बैजूपाडा को तस्दीक कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा के आदेश दिनांक 20.12.2016, जो नामान्तकरण संख्या 374 ग्राम बैजूपाडा पर पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील अपीलान्ट पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दिये बिना व अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना जालसाजी करके षड्यन्त्र रचकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के लिये उक्त आदेश पारित किया है। रतीराम के वारिस अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रिकार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र से बखूबी सिद्व थे। नामान्तरकरण भी वारिस प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के हक मे भरकर प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के लिये षडयंत्र रचकर फर्जी रिकार्ड तैयार करने के लिये उक्त निर्णय पारित किया है। रत्तीराम के नाम की भूमि के आधे हिस्से पर अपीलान्ट व आधे हिस्से पर रेस्पो. नंबर 1 काबिज है अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जांच किये बिना उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अधीनस्थ न्यायालय जब रतीराम का वारिस अपीलान्ट व रेस्पो. नंबर 1 को नही मानता था तो अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को नोटिस देना चाहिए था और उक्त नामान्तरकरण विवादित मानना चाहिए था और यदि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय उक्त नामान्तरकरण को विवादित मानती थी तो अधीनस्थ न्यायालय को विवादित नामान्तरकरण को तस्दीक करने का अधिकार नहीं था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामांतकरण को तस्दीक करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बैजूपाडा दिनांक 20.12.2016, जो नामांतकरण सं. 374 ग्राम बैजूपाडा पर पारित किया गया है, को निरस्त करें और अधीनस्थ न्यायालय को आदेश करें कि रत्तीराम पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी कोठीन की विरासत का नामांतरकरण अपीलांट व रेस्पो. सं. 01 के हक में भरकर और तस्दीक करें।

2. अपील के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं दिनांक 18.01.2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी कि रेस्पोडेंट आगामी सुनवाई तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 02 के द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत नही किया गया इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत कर अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि अपील नामान्तरकरण सं. 374 ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा में वर्णित ग्राम बैजूपाड़ा, तहसील बसवा हाल बैजूपाड़ा, जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 88, 116, 117, 125, कुल किता 4, कुल रकबा 1.96 हैक्टे. भूमि होना स्वीकार है तथा रत्तीराम पुत्र रामफूल, जाति मीना, निवासी कोठीन की मृत्यु दिनांक 25.08.2016 को होना भी स्वीकार है। अपीलांट के द्वारा जिस नामान्तकरण को लेकर अपील पेश की, उस भूमि में अपीलांट बाबूलाल का किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार व हिस्सा निहित नहीं है क्योंकि अपीलांट बाबूलाल जो एक बहुत चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जो कि अपने चाचा मृतक चन्द्रमल जिसके केवल मात्र पुत्री सन्तान होने के कारण उसका दत्तक पुत्र बन गया तथा अपने चाचा चन्द्रमल की सम्पूर्ण भूमि का अपने नाम गोद की जमीन का नामान्तरकरण खुलवा कर उक्त गोद की जमीन पर बतौर दत्तक पुत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बहैसियत उत्तराधिकारी आज दिन तक मौके पर काबिज है। जब अपीलांट गोद चला गया और चन्द्रमल की चल व अचल सम्पत्ति को अपने नाम करवा लिया तो उसका हिस्सा व अधिकार रत्तीराम की चल व अचल सम्पत्ति से स्वतः ही समाप्त हो जाता है तथा अपीलांट बाबूलाल को नामान्तकरण सं. 374 दिनांक 20.12.2016 को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा नामान्तकरण सं. 374 दिनांक 20.12.2016 को सम्पूर्ण कोरम की उपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए ही सम्पूर्ण कोरम ने दर्ज किया है जो सही है तथा अपील अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है जो खारिज व निरस्त किये जाने योग्य है। खानदानी सजरा निम्नप्रकार है –

रामफूल
पुत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| रत्तीराम | चन्द्रमल | सुवा | पपडी (नाऔलाद) |
| पुत्र | दत्तक पुत्र व पुत्री | पुत्र | पत्नि |
| रामकेश | बाबूलाल<br>(बत्तो, गुलाब, गीता, खेला) | बालू राम व चिन्हहरी | मनुकरी |

अतः निवेदन है कि जब अपीलांट बाबू लाल दत्तक पुत्र चन्द्रमल यानी जब बाबूलाल चन्द्रमल के गोद चला गया और चन्द्रमल के जीवनकाल से ही मृतक चन्द्रमल की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि पर काबिज हो गया और चन्द्रमल की मृत्यु के बाद चन्द्रमल के स्थान पर रिकॉर्ड में खातेदार हो गया तो उक्त जमीन से अपीलांट बाबू लाल का कोई संबंध व सरोकार नही बचा है इसलिए अपीलांट की अपील मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

4. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेट ने जवाब अपील के तथ्यों को दोहराया तथा अपील को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – ग्राम पंचायत बैजूपाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 374 आदेश दिनांक 20.12.2016, रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत दानपत्र दिनांक 28.09.1999 (प्रतिलिपि) का अवलोकन किया गया।

6. ग्राम पंचायत बैजूपाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 374 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रत्तीराम के फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा पटवारी बैजूपाडा एवं भू. अ.नि. बैजूपाडा के द्वारा "रामकेश बाबूलाल पि. रत्तीराम हि. 1/4" की प्रविष्टि दर्ज की गई है जिसका ग्राम पंचायत बैजूपाडा द्वारा नामान्तरकरण केवल "रामकेश पि. रत्तीराम हि. 1/4" के नाम स्वीकृत किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत दानपत्र दिनांक 28.09.1999 से स्पष्ट है कि चन्द्रमल पुत्र रामफूल निवासी कोठीन के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में उसके हिस्सा 1/4 को बाबूलाल पुत्र रत्तीराम के पक्ष में दानपत्र किया था किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा बाबूलाल को चन्द्रमल के गोद जाने से सम्बंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए बाबूलाल का अपने पिता रत्तीराम की विरासत में से हिस्सा प्राप्त होने के सम्बंध में कोई भी विधिक बाधा होना रेस्पोडेंट संख्या 01 प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

नहीं कर पाये हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बैजूपाडा के द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तरकरण संख्या 374 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठी "रामकेश पि. रत्तीराम हि. 1/4" की हद तक अपास्त किया जाना उचित पाया जाता है।

## आदेश

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बैजूपाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 374 आदेश दिनांक 20.12.2016 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी "रामकेश पि. रत्तीराम हि. 1/4" की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 374 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी रामकेश पुत्र रत्तीराम के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकार
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)